बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

(सोमवार, तिथि 14 मार्च, 1983 ई०)

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नोत्तर : मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126।	1—29
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	
तारांकित प्रश्न सं०— 129, 130, 131, 171, 178, 186, 187, 202, 128, 132, 133, 134, 135, 142, 147, 149, 152, 153, 157, 158, 161, 163, 168, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 184, 189, 190, 196, 198, 201, 204, 206।	31—61
परिशिष्ट 2 (अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	
प्रश्न सं०— फ-3, सामु-6, द-19, द-23, द-1, नि-5, झ-28, खा-1, ऐ-3, पुन-5, ह-8, सामु-24, फ-21, ल-1, द-19, क-4, र-1, जन-1, फ-14, फ-15, त्र-17, त्र-42, फ-13, त्र-23, घ-2, द-35, छ-1, मा-21, रा-6, रा-5, पुन-4, ट-10, प-2, ट-3, फ-18, ज-10, सामु-29, क-2, ईख-1, सामु-19, त्र-8, ईख-3, ईख-2, खा-3, फ-22, फ-23, फ-25।	62—98
दैनिक-निबंध	99-101

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

(3) निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के पद को सांख्यिकी निदेशालय के पदाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने के संबंध में अग्रेतर अपेक्षित कार्रवाइयां पूरी की जा रही हैं। अभी कुछ समय और लगने की संभावना है।

श्री सिंह की प्रोन्नति।

186. सर्वश्री एस० के० बागे, मुनि सिंह एवं टीकाराम मांझी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त अंकेक्षण विभाग के कनीय लिपिक श्री कृष्ण-देव प्रसाद को प्रवर कोटि लिपिक के पद पर दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 से प्रोन्नति दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री कृष्ण देव प्रसाद से वरीय लिपिक श्री सीताराम प्रसाद सिंह, जो भागलपुर प्रमंडल में पदस्थापित हैं, को प्रवर कोटि में प्रोन्नति नहीं दी गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री सीताराम प्रसाद सिंह, लिपिक को प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नति देने हेतु उप-लेखा नियंत्रक, भागलपुर ने अपने पत्रांक 1211, दिनांक 5 दिसम्बर, 1980, 1167, दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 एवं 555, दिनांक 31 जुलाई, 1982 के द्वारा अनुशंसा कर मुख्य लेखा नियंत्रक, पटना को भेजा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सीता-राम प्रसाद सिंह, लिपिक को प्रवर कोटि लिपिक के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री सीताराम सिंह के विरुद्ध जाली चिकित्सा विपत्र का मुकदमा चल रहा था। अतः स्थापना समिति की अनुशसानुसार इनकी प्रोन्नति नहीं की गई एवं पद सुरक्षित रखा गया। मुकदमे के विस्तार की सूचना विभाग में अबतक प्राप्त नहीं है।

(3) उप लेखा नियंत्रक का पत्रांक 1211, दिनांक 5 दिसम्बर, 1980 एवं 555, दिनांक 31 जुलाई, 1982 विभाग को प्राप्त है किन्तु 1167, दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 प्राप्त नहीं है।

(4) इनके विरुद्ध मुकदमें के निष्पादन नहीं होने तक प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता है।

निजी सहायक के वेतनमान का निर्धारण।

187. श्री अवधेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मार्च, 1977 में निजी सहायकों एवं आशुलिपिक वर्ग-2 के विलयन के फलस्वरूप आदेश संख्या 673, दिनांक 1 मई, 1977 के द्वारा 100/35 शब्द आशुलिपि एवं टंकन में प्रति मिनट योग्यता रखने वाले को 50 रु० का वैयक्तिक वेतन देने का निर्णय सरकार ने लिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि 50 रु० वैयक्तिक वेतन पाने वाले श्री लाला प्रसाद एवं अन्य पांच निजी सहायकों की जब 1979 में वरीय निजी सहायक के पद पर उनकी प्रोन्नति हुई, उनके वेतन निर्धारण में 50 रु० वैयक्तिक वेतन का लाभ नहीं दिया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि 1 अप्रील, 1981 को निजी सहायकों के नये वेतनमान में 50 रु० वेतन जोड़ कर वेतन निर्धारण के कारण 1 अप्रील, 1981 के बाद उनमें से जिन्हें वरीय निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति दी गई उनका वेतन 1 अप्रील, 1981 के करीब चार वर्ष पूर्व (1 मार्च, 1977) को प्रोन्नत वरीय निजी सहायकों से अधिक हो गया है जबकि वे नियुक्ति और वेतन दोनों में उनसे कनीय थ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार 1 अप्रील, 1981 के पूर्व प्रोन्नत वरीय निजी सहायकों को उनके नये वेतनमान में 50 रु० का लाभ देकर वरीय निजी सहायक के वेतनमान में पुनः वेतन निर्धारण करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

डा० जगन्नाथ मिश्र—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वित्त विभाग के परामर्शानुसार श्री लाला प्रसाद एवं अन्य को वरीय निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके वेतन निर्धारण में 50 रु० वैयक्तिक वेतन का लाभ नहीं दिया गया।

(3) और (4) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रील, 1981 को वरीय निजी सहायक के वेतन निर्धारण में उत्पन्न विषमता के निराकरण का प्रश्न विचाराधीन है।